कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

आवश्यक सूचना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र 2026–27 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत स्थानों पर ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में अवधि विस्तार

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.16 के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर **पड़ोस के** (क्रमशः 01 कि.मी., 03 कि.मी. एवं अंततः 06 कि.मी. दूरी सीमा तक) **अभिवंचित समूह** (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) **कमजोर वर्ग** (जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000 से कम हो) के बच्चों का नामांकन हेतु दिनांक 15.02.2026 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के आलोक में **(ऑनलाईन वेबसाईट rteranchi.in)** पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15.03.2026 को विस्तारित करते हुए दिनांक 22.03.2026 तक निर्धारित किया जाता है।

उक्त पर उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

13/03/26

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची

ज्ञापांक 810 /राँची, दिनांक 13-03-26

प्रतिलिपि :–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रॉची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया दिनांक 15.03.2026 के अंक में स्थानीय तीन समाचार पत्रों में उपर्युक्त सूचना के प्रकाशन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि :–मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, रॉची जिला के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक, रॉची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अपने अधिनस्थ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से संपर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड/राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित। ।

प्रतिलिपि : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

13/03/26

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची